न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :— 03 / 2018

श्रवण सिंह पुत्र स्व. भागीरथ सिंह, जाति राजपूत निवासी वार्ड नंबर 17, राजकीय अस्पताल के पास बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

—निगरानीकार

—बनाम—

1. ग्राम पंचायत बुहाना, पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू जरिये सचिव ग्राम पंचायत बुहाना।
2. अमर सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नंबर 17 बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि01994
विरूद्ध निर्णय दिनांकित 05.7.2002 ग्राम पंचायत बुहाना,
पट्टा संख्या 25 दिनांकित 5.7.2002 बहक अमर सिंह तथा
विरूद्ध पट्टा नवीनीकरण आदेश दिनांक 20.5.2010

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, एडवोकेट ---- ---- निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री विजयपाल एडवोकेट ——————————गैर निगरानीकार की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 02.03.2020

उक्त उनवानी निगरानी अं0धारा 97 राज0 पंचायत राज अधि0 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 05.7.2002 ग्राम पंचायत बुहाना, पट्टा संख्या 25 दिनांकित 5.7.2002 बहक अमर सिंह तथा विरूद्ध पट्टा नवीनीकरण आदेश दिनांक 20.5.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र के हाल खसरा

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

नंबर 2220 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर. मु0 आबादी में से निगरानीकारान का पैत्रिक पटटेशुदा भूखण्ड 840 वर्गगज का स्थित है। जिसकी बाबत निगरानीकारान संख्या 1 लगायत 3 के पिता व निगरानीकार संख्या 4 के पति स्व. भागीरथ सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत निवासी बुहाना के हक में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांकित 05.2.1987 को पटटा जारी किया गया था। भागीरथ सिंह के देहान्त के प्श्चात उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर निगरानीकारान बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं। भूखण्ड की चतुर्सीमा दर्ज कर निवेदन किया कि स्व0 भागीरथ सिंह ने अपने पटटे शुदा उक्त भूमि के उत्तरी पश्चिमी कोने में 22 फीट गुणा 12 फीट कुल 264 वर्गफीट भूमि गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह को बतौर लाईसेंसी दिनांक 29.4.1987 को दुकान बनाने के लिए बिना प्रतिफल के दी थी जिसकी बाबत अमर सिंह व भागीरथ सिंह के मध्य दिनांक 29.4.1987 को एक लिखावट (लाईसेंस) तीन रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई थी। उक्त लाईसेंस शुदा भूमि पर अमर सिंह ने निगरानीकारान के लाईसेंसी की हैसियत से एक दुकान उक्त प्लाट की उत्तरी पश्चिमी कोने का 264 वर्गफीट जगह में बना रखी है। तथा शेष पूर्वी दिशा की भुजा पर निगरानीकारान ने अपनी दुकाने बना रखी हैं, जिनमें निगरानीकारान व्यापार करते हैं। गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह ने ग्राम पंचायत बुहाना के समक्ष कथित रूप से एक पट्टा पत्रावली दिनांक 05.4.2002 को प्रस्तुत की जिसमें उसने निगरानीकारान के स्वामित्व के उक्त पैत्रिक पट्टे शुदा भूखण्ड में से 60.41 वर्गगज भूमि को गलत रूप से अपनी स्वयं की कथित करते हुये उसकी बाबत अपने हक में पटटा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत बुहाना के समक्ष प्रस्तुत किा जिसके साथ अमर सिंह ने गलत नक्शा व गलत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये। गैर निगरानीकार संख्या 2 अमरसिंह के उक्त पट्टा आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा कथित रूप से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी स्वामित्व दस्तावेज के निगरानीकारान की पट्टे शुदा भूमि में से 60.41 वर्गगज भूमि का पट्टा दिनांक 5.7.2002 को आर्बीट्रेरी रूप से जारी करने का आदेश पारित कर दिया तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में निगरानीकारान की भूमि का पटटा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा तत्पश्चात दिनांक 20.5.2010 की कथित ग्राम पंचायत बुहाना के उक्त अवैध एवं विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 05.7.2002 व दिनांक 2.5.2010 से व्यथित होकर निगरानीकारान द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बुहाना ने जिस भूमि की बाबत गैर निगरानीकार सं0 2 अमर सिंह के हक में पट्टा जारी किया है

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

वह भूमि निगरानीकारान के पिता स्व0 भागीरथ सिंह की पट्टेशुदा भूमि है जिसका तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांक 5.2.1987 को भागीरथ सिंह के हक में 840 वर्गगज का पट्टा जारी किया हुआ है। जिस पर भागीरथ सिंह आबाद रहे तथा उनके देहान्त के पश्चात से निगरानीकारान उक्त पट्टेशुदा भूमि पर मालिक की हैसियत से काबिज आबाद चले आ रहे हैं। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने अपने कथित पट्टा आवेदन के साथ जिस भूमि का पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस पर अपने स्वामित्व या आधिपत्य की बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त भूमि उसके स्वामित्व की साबित होती हो। ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में निगरानीधीन निर्णय की पट्टा पत्रावली की कथित कार्यवाही में दिनांक 5.4.2002 को उक्त पत्रावली ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होना एवं पंचायत की बैठक दिनांक 5.4.2000 के प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार अमर सिंह गैर निगरानीकार द्वारा पटटा चाहने हेतु कथित रूप से आवेदन प्रस्तुत करने बाबत अंकन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत बुहाना की बैठक कार्यवाही पुस्तक मं दर्ज दिनांक 5.4.2002 की पंचायत बैठक के प्रस्ताव संख्या 8 में केवल 7 व्यक्तियों के पट्टा आवेदन प्राप्त होने का अंकन है, जिनमें गैरनिगरानीकार संख्या–2 का नाम अंकित नहीं है। इसी प्रकार गैर निगरानीकार की पटटा पत्रावली की कथित कार्यवाही दिनांक 5.7.2002 में पंचायत की बैठक दिनांक 05.7.2002 के प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा अमर सिंह पुत्र सुगन सिंह के हक में आबादी भूमि का पटटा सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी करने का विवरण दर्ज किया गया है जबकि कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज बैठक कार्यवाही दिनांक 5.7.2002 के प्रस्ताव संख्या 1 में जिन 22 व्यक्तियों को पटटा जारी करने का निर्णय पारित किया गया है, उनमें गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी कथित पटटा की बाबत कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत बुहाना के कार्यवाही रजिस्टर से प्रमाणित नहीं होती है जिससे यह साबित है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने ग्राम पंचायत बुहाना के तत्कालीन सरपंच से साजकर गैर कानूनी रूप से उक्त फर्जी पट्टा कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। गैर निगरानीकार द्वारा उक्त फर्जी पट्टा कार्यवाही की बाबत न तो कोई आपतियां आमंत्रित की गई एवं न ही आमजन को इसकी सूचना समुचित ढंग से की। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा पट्टा पत्रावली अमर सिंह पुत्र सुगन सिंह में पारित निर्णय दिनांक 5.7. 2002 व निर्णय की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह के हक में जारी पट्टा संख्या

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

25 दिनांकित 5.7.2002 व उसके नवीनीकरण आदेश दिनांक 20.5.2010 को निरस्त फरमाया जावे तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह से असल पट्टा तलब कर उस पर लाल स्याही से निरस्त का नोट लगाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र के हाल खसरा नंबर 2220 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर. मु0 आबादी में से निगरानीकारान का पैत्रिक पटटेशुदा भूखण्ड 840 वर्गगज का स्थित है। जिसकी बाबत निगरानीकारान संख्या 1 लगायत 3 के पिता व निगरानीकार संख्या 4 के पति स्व. भागीरथ सिंह पुत्र रूप सिंह राजपूत निवासी बुहाना के हक में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांकित 05.2. 1987 को पटटा जारी किया गया था। भागीरथ सिंह के देहान्त के प्श्चात उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर निगरानीकारान बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे हैं। भूखण्ड की चतुर्सीमा दर्ज कर निवेदन किया कि स्व0 भागीरथ सिंह ने अपने पटटे शुदा उक्त भूमि के उत्तरी पश्चिमी कोने में 22 फीट गुणा 12 फीट कुल 264 वर्गफीट भूमि गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह को बतौर लाईसेंसी दिनांक 29.4.1987 को दुकान बनाने के लिए बिना प्रतिफल के दी थी जिसकी बाबत अमर सिंह व भागीरथ सिंह के मध्य दिनांक 29.4.1987 को एक लिखावट (लाईसेंस) तीन रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर की गई थी। उक्त लाईसेंस शुदा भूमि पर अमर सिंह ने निगरानीकारान के लाईसेंसी की हैसियत से एक दुकान उक्त प्लाट की उत्तरी पश्चिमी कोने का 264 वर्गफीट जगह में बना रखी है। तथा शेष पूर्वी दिशा की भुजा पर निगरानीकारान ने अपनी दुकाने बना रखी हैं, जिनमें निगरानीकारान व्यापार करते हैं। गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह ने ग्राम पंचायत बुहाना के समक्ष कथित रूप से एक पट्टा पत्रावली दिनांक 05.4.2002 को प्रस्तुत की जिसमें उसने निगरानीकारान के स्वामित्व के उक्त पैत्रिक पट्टे शुदा भूखण्ड में से 60.41 वर्गगज भूमि को गलत रूप से अपनी स्वयं की कथित करते हुये उसकी बाबत अपने हक में पटटा जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत बुहाना के समक्ष प्रस्तुत किा जिसके साथ अमर सिंह ने गलत

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

नक्शा व गलत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये। गैर निगरानीकार संख्या 2 अमरसिंह के उक्त पट्टा आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा कथित रूप से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी स्वामित्व दस्तावेज के निगरानीकारान की पट्टे शुदा भूमि में से 60.41 वर्गगज भूमि का पट्टा दिनांक 5.7.2002 को आर्बीट्रेरी रूप से जारी करने का आदेश पारित कर दिया तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में निगरानीकारान की भूमि का पटटा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत बुहाना ने जिस भूमि की बाबत गैर निगरानीकार सं0 2 अमर सिंह के हक में पट्टा जारी किया है वह भूमि निगरानीकारान के पिता स्व0 भागीरथ सिंह की पट्टेशुदा भूमि है जिसका तहसीलदार खेतड़ी द्वारा दिनांक 5.2.1987 को भागीरथ सिंह के हक में 840 वर्गगज का पट्टा जारी किया हुआ है। जिस पर भागीरथ सिंह आबाद रहे तथा उनके देहान्त के पश्चात से निगरानीकारान उक्त पट्टेशुदा भूमि पर मालिक की हैसियत से काबिज आबाद चले आ रहे हैं। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने अपने कथित पट्टा आवेदन के साथ जिस भूमि का पट्टा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस पर अपने स्वामित्व या आधिपत्य की बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त भूमि उसके स्वामित्व की साबित होती हो। ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में निगरानीधीन निर्णय की पट्टा पत्रावली की कथित कार्यवाही में दिनांक 5.4.2002 को उक्त पत्रावली ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होना एवं पंचायत की बैठक दिनांक 5.4.2000 के प्रस्ताव संख्या 8 के अनुसार अमर सिंह गैर निगरानीकार द्वारा पटटा चाहने हेतु कथित रूप से आवेदन प्रस्तुत करने बाबत अंकन किया गया है जबकि ग्राम पंचायत बुहाना की बैठक कार्यवाही पुस्तक मं दर्ज दिनांक 5.4.2002 की पंचायत बैठक के प्रस्ताव संख्या 8 में केवल 7 व्यक्तियों के पट्टा आवेदन प्राप्त होने का अंकन है, जिनमें गैरनिगरानीकार संख्या–2 का नाम अंकित नहीं है। इसी प्रकार गैर निगरानीकार की पटटा पत्रावली की कथित कार्यवाही दिनांक 5.7.2002 में पंचायत की बैठक दिनांक 05.7.2002 के प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा अमर सिंह पुत्र सुगन सिंह के हक में आबादी भूमि का पटटा सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी करने का विवरण दर्ज किया गया है जबकि कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज बैठक कार्यवाही दिनांक 5.7.2002 के प्रस्ताव संख्या 1 में जिन 22 व्यक्तियों को पटटा जारी करने का निर्णय पारित किया गया है, उनमें गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 2 के पक्ष में जारी कथित पटटा की बाबत कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत बुहाना के कार्यवाही रजिस्टर से प्रमाणित नहीं होती है

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

जिससे यह साबित है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 ने ग्राम पंचायत बुहाना के तत्कालीन सरपंच से साजकर गैर कानूनी रूप से उक्त फर्जी पट्टा कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। गैर निगरानीकार द्वारा उक्त फर्जी पट्टा कार्यवाही की बाबत न तो कोई आपतियां आमंत्रित की गई एवं न ही आमजन को इसकी सूचना समुचित ढंग से की। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत बुहाना द्वारा पट्टा पत्रावली अमर सिंह पुत्र सुगन सिंह में पारित निर्णय दिनांक 5.7.2002 व निर्णय की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह के हक में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांकित 5.7.2002 व उसके नवीनीकरण आदेश दिनांक 20.5.2010 को निरस्त फरमाया जावे तथा गैर निगरानीकार संख्या 2 अमर सिंह से असल पट्टा तलब कर उस पर लाल स्याही से निरस्त का नोट लगाया जावे।

विद्वान अधिवक्त गैर निगरानीकार का कथन है कि– स्व. भागीरथ सिंह के हक में जमीन खसरा नंबर 2220 रकबा 0.08 हैक्टर में से 840 वर्गगज का तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 25.2.1987 को पटटा जारी किया। पत्रावली पर मौजुद भागीरथ सिंह के पट्टे में खसरा नंबर 594 लिखा हुआ है और पटटा क्रमांक 220/राजस्व/87 दिनांकित 5.2.1987 लिखा हुआ है तथा खसरा नंबर 594 के आगे चारागाह दर्ज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने तहसीलदार खेतड़ी के यहां पटटा क्रमांक 220/राजस्व/87 दिनांकित 05.2.1987 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु एक नकल आवेदन पत्र पेश किया जिसकी पुश्त पर यह दर्ज कि–आवेदन पत्र में वर्णित पत्रावली की तलाश की गई। पत्रावली 1987 की होने के कारण रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः श्रीमानजी के समक्ष पेश है। उक्त आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि गैर निगरानीकार की तरफ से दौराने बहस प्रस्तुत की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकारान द्वारा उल्लेखित पट्टे की पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी के पास नहीं है और उपरोक्त क्रम में भागीरथ सिंह के हक में पट्टा जारी होना एक संदेहास्पद है। इसके अलावा यह कथन किया गया है कि भागीरथ सिंह गैर निगरानीकार संख्या 2 को दिनांक 19.4.1887 को तथाकथित पट्टेशुदा जमीन में से 264 वर्गफीट जमीन बतौर लाईसेंसी दी गई जिसकी लिखावट होने का जिक्र भी बताया गया है। पत्रावली पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखावट पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के हस्ताक्षर हों, यह बात साबित नहीं है। भागीरथ सिंह के हक में तथाकथित जारी किये पटटा व लिखावट में जमीन के क्षेत्रफल में विरोधाभाष है। निगरानीकार ने खसरा नंबर 2220 गैर मु0 आबादी की भूमि में से गैर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

निगरानीकार सं0 2 को पटटा जारी होना बताया गया है और पट्टेशुदा जमीन पर सन 1987 से गैर निगरानीकार सं0 2 का भौतिक कब्जा निगरानीकार ने स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा को निरस्त नहीं किया जा सकता। निगरानीकार द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत लिखावट से यह प्रकट होता है कि गेर निगरानीकार संख्या 2 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि से भागीरथ सिंह का कोई लेनादेना नहीं है। उक्त लिखावट की किसी शर्त की अवहेलना की गई हो अथवा कोई शर्त भंग की गई हो। इस बाबत निगरानीकार ने कथन नहीं किया है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन कि उसके पिता स्व. भागीरथ सिंह के हक में जमीन खसरा नंबर 2220 रकबा 0.08 हैक्टर में से 840 वर्गगज का तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 25.2.1987 को पटटा जारी किया। पत्रावली पर उपलब्ध भागीरथ सिंह के पट्टे में खसरा नंबर 594 लिखा हुआ है और पटटा क्रमांक 220/राजस्व/87 दिनांकित 5.2.1987 लिखा हुआ है तथा खसरा नंबर 594 के आगे चारागाह दर्ज है। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने तहसीलदार खेतड़ी के यहां पटटा क्रमांक 220/राजस्व/87 दिनांकित 05.2.1987 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु एक नकल आवेदन पत्र पेश किया जिसकी पुश्त पर यह दर्ज कि–आवेदन पत्र में वर्णित पत्रावली की तलाश की गई। पत्रावली 1987 की होने के कारण रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः श्रीमानजी के समक्ष पेश है। उक्त आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि गैर निगरानीकार की तरफ से दौराने बहस प्रस्तुत की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि निगरानीकारान द्वारा उल्लेखित पट्टे की पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी के पास नहीं है और उपरोक्त क्रम में भागीरथ सिंह के हक में पट्टा जारी होना एक संदेहास्पद है। इसके अलावा यह कथन किया गया है कि भागीरथ सिंह गैर निगरानीकार संख्या 2 को दिनांक 19.4.1887 को तथाकथित पट्टेशुदा जमीन में से 264 वर्गफीट जमीन बतौर लाईसेंसी दी गई जिसकी लिखावट होने का जिक्र भी बताया गया है। पत्रावली पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखावट पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के हस्ताक्षर हों, यह बात साबित नहीं है। भागीरथ सिंह के हक में तथाकथित जारी किये पटटा व लिखावट में जमीन के क्षेत्रफल में विरोधाभाष है। निगरानीकार ने खसरा नंबर 2220 गैर मु0 आबादी की भूमि में से गैर निगरानीकार

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

सं0 2 को पटटा जारी होना बताया गया है और पट्टेशुदा जमीन पर सन 1987 से गैर निगरानीकार सं0 2 का भौतिक कब्जा निगरानीकार ने स्वीकार किया है। इस प्रकार निगरानी में भौतिक कब्जे व स्वामित्व को लेकर विवाद होना प्रकट होता है जिसका निर्धारण निगरानी के मार्फत नहीं हो सकता, बल्कि यह किसी सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के द्वारा ही तय हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नही होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.03.12 13:53:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: